

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
स्वास्थ्य भवन, जयपुर, राजस्थान

अनौपचारिक टिप्पणी


विषय : राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अंशकालिक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को (पूर्णतया संविदा आधारित) को संबद्ध किये जाने बाबत विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अंशकालिक (Part-Time) चिकित्सा अधिकारियों को पूर्णतया संविदा आधार पर संबद्ध किया जाना है। इसके लिए इच्छुक चिकित्सक जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, एमडी फिजिशियन, चर्म रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की योग्यता रखते हो, ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रति विजिट (2 घण्टे) 2,000/- का मानदेय देय होगा।

उक्त के विषय में दिनांक 02.06.2017 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संभी संस्करणों में विज्ञापित प्रकाशित की गई है जिसमें विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in का अवलोकन हेतु लिखा गया है।

अतः विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


अति. निशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव
चि. एवं. स्वा. वि. जयपुर

सलाहकार, आईटी

अनौ. टि. क्रमांक :- F.2 (172)/NUHM/Part-Time MOs/2017/113

दिनांक :- 6/6/17



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

—:विस्तृत विज्ञापन:—

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अंशकालिक (Part-Time) चिकित्सा अधिकारियों को पूर्णतया संविदा आधार पर संबद्ध किया जाना है। इसके लिए इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सक जो स्त्री रोग, शिशु रोग, फिजिशियन, चर्म रोग, अस्थि रोग एवं ईएनटी विशेषज्ञता की योग्यता रखते हो, सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र को परिपूर्ण कर आवेदन कर सकते हैं।

- पद का नाम :- अंशकालिक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, एमडी फिजिशियन, चर्म रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ व ईएनटी विशेषज्ञ
- राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
- मानदेय- 2,000/- रुपये प्रति विजिट (2 घण्टे)
- विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ओपीडी के समय में 2 घण्टे सेवायें प्रदान की जानी हैं।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ओपीडी समय:-

शीतकालीन-प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक एवं सांय 4 बजे से 6 बजे तक


ग्रीष्मकालीन-प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक

- राजकीय सेवा निवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज़ (मय विशेषज्ञता संबंधित दस्तावेज़), राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा अपडेटेड रजिस्ट्रेशन, पहचान-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर जमा करवाना होगा।
- अंशकालिक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्य करवाये जाने हेतु नियमानुसार आदेश संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय से ही जारी किया जायेगा।

जिला एवं शहर मुख्यालय का नाम एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.स.	जिला / शहर का नाम	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1	अजमेर	10
2	ब्यावर	3
3	किशनगढ़	3
4	नसीराबाद	1
5	अलवर	6
6	भिवाड़ी	2
7	बांसवाड़ा	2
8	बारा	2
9	बाड़मेर	2
10	बालोतरा	1
11	भरतपुर	5
12	भीलवाड़ा	7
13	बीकानेर	13
14	नोखा	1
15	डूंगरगढ़	1
16	बून्दी	2
17	चित्तौड़गढ़	2
18	निम्बाहेड़ा	1
19	चूरु	4
20	सुजानगढ़	2
21	रतनगढ़	1
22	सरदारशहर	2
23	राजगढ़	1
24	दौसा	2
25	धौलपुर	3
26	बाड़ी	1
27	डूंगरपुर	1
28	गंगानगर	5
29	सूरतगढ़	1
30	हनुमानगढ़	3
31	नोहर	1
32	जयपुर प्रथम	39
33	कोटपुतली	1
34	चौमू	1
35	जयपुर द्वितीय	20
36	जैसलमेर	1

क्र.स.	जिला/शहर का नाम	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
37	जालोर	1
38	झालावाड़	2
39	झुन्झुनू	2
40	नवलगढ़	1
41	जोधपुर	21
42	फलौदी	1
43	करौली	2
44	हिण्डोन	2
45	कोटा	20
46	नागौर	2
47	कुचामन सिटी	1
48	मकराना	2
49	लाडनू	1
50	डीडवाना	1
51	पाली	5
52	प्रतापगढ़	1
53	राजसमंद	1
54	सवाई माधोपुर	2
55	गंगापुरसिटी	2
56	सीकर	5
57	फतेहपुर	2
58	लक्ष्मणगढ़	1
59	सिरोही	1
60	आबू रोड	1
61	टोंक	3
62	उदयपुर	9
कुल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		245


 अति. मिशन निदेशक, एनएचएम
 एवं विशिष्ट शासन सचिव
 चि. एवं. स्वा. वि. जयपुर

आवेदन पत्र

प्रार्थी का पासपोर्ट
साईज फोटो

आवेदक का नाम:

पिता/पति का नाम:

जन्म तिथि :

आवेदन के समय आयु : वर्ष मास दिवस

राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नं.....दिनांक.....

रजिस्ट्रेशन की वैधता दिनांक.....

वर्तमान पता:-.....
.....
.....

स्थायी पता:-.....
.....
.....

मोबाइल नं :

ईमेल आई डी :

संलग्न : स्वप्रमाणित दस्तावेज की छायाप्रति

- शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सभी दस्तावेज,
- विशेषज्ञता संबंधित दस्तावेज
- पहचान पत्र,
- राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:-.....